

04.10.2024:-पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य आपस में पंचायत द्वारा राजीनामा करवा दिया गया है। जिस कारण प्रार्थी उक्ता वाद पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता। इसलिए वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विद्धा) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त वाद पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री भोजराज भार्गव द्वारा कि गई। पक्षकारान का राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत में विद्धा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरवीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

*[Handwritten signature]*  
sy rma  
T-10-24  
मौजूदा सूरत में

*[Handwritten signature]*  
सहायक कलक्टर  
एव उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

